## अध्याय - 15

## जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत भुगतान दावों के प्रकार एवं दावा-प्रिक्रया

दावा

1.

- ः दावा वह मांग है जिसे अनुबन्ध में निर्धारित वादे के अनुसार कम्पनी को पूरा करना चाहिए।
- ः मृत्यु-दावा बीमित जीवन की मृत्यु होने पर उत्पन्न होता है, जबिक विद्यमानता दावा एक या अधिक घटनाओं के कारण उत्पन्न हो सकता है।
- ः परिपक्वता या मृत्यु दावा या समपर्ण की स्थिति में अनुबन्ध के अन्तर्गत बीमा संरक्षण समाप्त हो जाता है तथा उसके पश्चात पॉलिसी में कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं होता।
- 2. दावे हो सकते हैं -
- (क) विद्यमानता लाभ दावे
- (ख) मृत्यु दावे
- 3. दावों के प्रकार
- (क) विद्यमानता लाभ भुगतान
- (ख) पालिसी समपर्ण
- (ग) आरोहक लाभ
- (घ) परिपक्वता दावा
- (ड) मृत्यु दावा
- ः षीघ्र ( 3 पालिसी वर्षों से कम में ) मृत्यु दावा
- ः अ-षीघ्र ( 3 पालिसी वर्षो से अधिक में) मृत्यु दावा
- 4. मृत्यु दावे के लिए जमा किए जाने वाले प्रपत्र
- (क) नामिती द्वारा दावा-प्रपत्र
- (ख) दाह-संस्कार का दफन प्रमाणपत्र
- (ग) उपचार करने वाले चिकित्सक का प्रमाणपत्र
- (घ) अस्पताल का प्रमाण-पत्र
- (ड) नियोक्ता का प्रमाण पत्र
- (च) दुर्घटना के मामले में मृत्यु होने पर पुलिस की रिपोर्ट तथा कोर्ट की प्रमाणित प्रतियां।